

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021-रतनपुरा
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 1074 सन 2021

अनवान:-

1. रमेश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. पवन कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. रणजीत पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. पृथ्वी सिंह पुत्र रामेश्वर पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. अमीलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. मदनलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. दयालाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुभाष पुत्र दयालाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. धर्मपाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सन्दीप कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. रोहिताश पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. बृजलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. राकेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. नारायणी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. सन्तरो पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. रोशनी पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. राजबाला पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. सरोज पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. सुनिता पुत्री दयालाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. कमलेश पुत्री दयालाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. सिलोचना पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. कमलेश पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा जिला हनुमानगढ़।
23. ज्याना पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा जिला हनुमानगढ़।
24. सावत्री पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा जिला हनुमानगढ़।
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

26. मुकेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— तरतीवी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 24.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 61/90 के कुल 2.5300 है0 भूमि व रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 82/78 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 व खाता संख्या 145/141 के 1 कुल 1.5180 है0 भूमि रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 78/67 के कुल 3.7950 है0 भूमि व खाता संख्या 79/66 के कुल 2.0240 है0 भूमि तथा रोही मौजा 14 केएनएन के खाता संख्या 29/29 कुल 8.6020 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 ,12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम पुत्र सहीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुखराम पुत्र सहीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 ,12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम पुत्र सहीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 14 ता 24 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 ,12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर की पुत्री हैएवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 24 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 ,12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावों के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 ,12, 22 ता 24 ने निवेदन किया की उसके एवं रामेश्वर नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुखराम पुत्र सहीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 24 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 61/90 के कुल 2.5300 है0 भूमि व रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 82/78 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 व खाता संख्या 145/141 के 1 कुल 1.5180 है0 भूमि रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 78/67 के कुल 3.7950 है0 भूमि व खाता संख्या 79/66 के कुल 2.0240 है0 भूमि तथा रोही मौजा 14 केएनएन के खाता संख्या 29/29 कुल 8.6020 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 ,12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मुखराम पुत्र हेतराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम पुत्र हेतराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम पुत्र हेतराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 ,12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 ,12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 14 ता 24 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 14 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 24 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 61/90 के कुल 2.5300 है० भूमि व रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 82/78 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० व खाता संख्या 145/141 के 1 कुल 1.5180 है० भूमि रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 78/67 के कुल 3.7950 है० भूमि व खाता संख्या 79/66 के कुल 2.0240 है० भूमि तथा रोही मौजा 14 केएनएन के खाता संख्या 29/29 कुल 8.6020 है० भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 5, 7, 9, 12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर के नाम से दर्ज है। रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 61/90 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है० भूमि में मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 व प्रतिवादी संख्या 1, 7, 9, 12 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 314/378 (32) के किला नं. 12 ता 13 व 17 ता 19 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि व किला नं. 14 के मिन पश्चिम 0.127 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 314/378 (32) के किला नं. 14 की मिन पूर्व 0.126 है० भूमि व 15/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला व 15/2 की 0.228 है० भूमि व प० नं० 315/378 (33) के किला नं. 11 ता 13 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 82/78 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि में मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 व प्रतिवादी संख्या 1, 7, 9, 12 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 78/67 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० भूमि में से मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 5 व 22 ता 24 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 312/376 (29) के किला नं. 3/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 3/2 की 0.215 है०, 8 की 0.253 है०, 13 की मिन उत्तर 0.164 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा नं० 312/376 (29) के किला नं. 4/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 की मिन पूर्व 0.202 है० भूमि व 4/2 की मिन पश्चिम की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, किला नं. 7 की मिन पश्चिम की 0.013 है० गै० मु० रास्ता व शेष 0.240 है० भूमि व किला नं. 14 के मिन दक्षिण की 0.114 है० भूमि छोड़ कर मिन उत्तर के मिन पश्चिम की 0.007 है० गै० मु० रास्ता व शेष 0.132 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व प० नं० 312/376 (29) के किला नं. 5/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.215 है०, 6 की 0.253 है०, 15 की 0.253 है० प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे व प० नं० 312/376 (29) के किला नं. 13 की मिन दक्षिण की 0.089 है० भूमि व किला नं. 18 व 23 की 0.506 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा प० नं० 312/376 (29) के किला नं. 14 के मिन दक्षिण की 0.114 है० व किला नं. 16, 17, 24 व 25 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 26 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 79/66 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है० भूमि में मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 व 1, 5, 7, 9, 12 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 13 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 26 के नाम ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 29/29 कुल खसरे 39 का कुल क्षेत्रफल 8.6020 है० भूमि में से मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 1, 5, 12 का नाम कलमजन करवा कर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 145/141 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.-रतनपुरा.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान:-

1. रमेश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. पवन कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. रणजीत पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. पृथ्वी सिंह पुत्र रामेश्वर पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. अमीलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. मदनलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. दयालाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुभाष पुत्र दयालाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. धर्मपाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सन्दीप कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. रोहिताश पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. बृजलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. राकेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. नारायणी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. सन्तरो पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. रोशनी पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. राजबाला पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. सरोज पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. सुनिता पुत्री दयालाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. कमलेश पुत्री दयालाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. सिलोचना पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. कमलेश पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा जिला हनुमानगढ़।
23. ज्याना पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा जिला हनुमानगढ़।
24. सावत्री पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा जिला हनुमानगढ़।
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

26. मुकेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 1074 सन 2021 निर्णय दिनांक- 24.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 61/90 के कुल 2.5300 है0 भूमि व रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 82/78 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 व खाता संख्या 145/141 के 1 कुल 1.5180 है0 भूमि रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 78/67 के कुल 3.7950 है0 भूमि व खाता संख्या 79/66 के कुल 2.0240 है0 भूमि तथा रोही मौजा 14 केएनएन के खाता संख्या 29/29 कुल 8.6020 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 5, 7, 9, 12, 22 ता 24 एवं मृतक रामेश्वर के नाम से दर्ज है। रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 61/90 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 व प्रतिवादी संख्या 1, 7, 9, 12 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 314/378 (32) के किला नं. 12 ता 13 व 17 ता 19 प्रत्येक की 0.2530

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है० भूमि व किला नं. 14 के मिन पश्चिम 0.127 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 314/378 (32) के किला नं. 14 की मिन पूर्व 0.126 है० भूमि व 15/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला व 15/2 की 0.228 है० भूमि व प० नं० 315/378 (33) के किला नं. 11 ता 13 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 82/78 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि में मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 व प्रतिवादी संख्या 1, 7, 9, 12 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 78/67 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० भूमि में से मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 5 व 22 ता 24 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 312/376 (29) के किला नं. 3/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 3/2 की 0.215 है०, 8 की 0.253 है०, 13 की मिन उत्तर 0.164 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा नं० 312/376 (29) के किला नं. 4/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 की मिन पूर्व 0.202 है० भूमि व 4/2 की मिन पश्चिम की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, किला नं. 7 की मिन पश्चिम की 0.013 है० गै० मु० रास्ता व शेष 0.240 है० भूमि व किला नं. 14 के मिन दक्षिण की 0.114 है० भूमि छोड़ कर मिन उत्तर के मिन पश्चिम की 0.007 है० गै० मु० रास्ता व शेष 0.132 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व प० नं० 312/376 (29) के किला नं. 5/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.215 है०, 6 की 0.253 है०, 15 की 0.253 है० प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे व प० नं० 312/376 (29) के किला नं. 13 की मिन दक्षिण की 0.089 है० भूमि व किला नं. 18 व 23 की 0.506 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा प० नं० 312/376 (29) के किला नं. 14 के मिन दक्षिण की 0.114 है० व किला नं. 16, 17, 24 व 25 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 26 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 79/66 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है० भूमि में मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 व 1, 5, 7, 9, 12 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 13 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 26 के नाम ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 29/29 कुल खसरे 39 का कुल क्षेत्रफल 8.6020 है० भूमि में से मृतक रामेश्वर पुत्र मुखराम व प्रतिवादी संख्या 1, 5, 12 का नाम कलमजन करवा कर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 145/141 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ़)
 प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
 कैम्प कोर्ट...रतनपुरा